तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म व जारी हु
5/2/26	पत्रा. पेश हुई। वकु. उप.। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 212 RTA के तहत स्वीकार किया जाकर जारी शुदा स्थगन आदेश 9/12/2024 को कन्फर्म किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली मुसल मुकम्मल होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (signature)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 121 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 273
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05.02.......2026

1. अभिना पुत्री सत्यवीर सिंह नाबालिग बली सरपरस्त माता खुद संगीता पत्नि सत्यवीर सिंह जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. दीपका पुत्री सत्यवीर सिंह नाबालिग बली सरपरस्त माता खुद संगीता पत्नि सत्यवीर सिंह जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्द पुत्र खूबीराम जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री जगवीर सिंह एड.(प्रार्थी की ओर से)
श्री लक्ष्मण सिंह एड. वगै (अप्रार्थी की ओर से)

सत्यमेव जयते

:: **निर्णय::** **प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत् पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है–

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

2. यह है कि विवादित आराजी खाता संख्या 429 के खसरा नंबर 654 रकबा 0.08 तथा खाता संख्या 368 के खसरा नंबरान 598 रकबा 0.29, 683 रकबा 0.19, खसरा नंबरान 709 रकबा 0.08, 710 रकबा 0.08 किता 4 कुल रकवा 0.64 हैक्टे. वाके ग्राम रौनीजा तहसील नदबई में स्थित है। व आराजी खाता संख्या 219 के आराजी खसरा नं0 29 रकवा 0.35, 30 रकवा 0.36, 31 रकवा 0.36, 32 रकवा 0.35, 35 रकवा 0.56, 36 रकवा 0.28, 37 रकवा 0.27, 43 रकवा 0.40, 44 रकवा 0.23, 45 रकवा 0.23, 46 रकवा 0.48, 47 रकवा 0.53 किता 12 कुल रकवा 4.40 हैक्टे. व आराजी खाता संख्या 348 के आराजी खसरा नम्बर 1 रकवा 0.14, 2 रकवा 0.30, 3 रकवा 0.13, 4 रकवा 0.30, 5 रकवा 0.26, 6 रकवा 0.26, किता 6 रकवा 1.39 हैक्टे. व आराजी खाता संख्या 93 के आराजी खसरा नम्बर 24 रकवा 0.38, 25 रकवा 0.37 किता 2 रकवा 0.75 वाके ग्राम उंच तहसील नदबई व आराजी खाता संख्या 14 के आराजी खसरा नं0 27 रकवा 0.07, 28 रकवा 0.18, 29 रकवा 0.22, 30 रकवा 0.05, 31 रकवा 0.07, 32 रकवा 0.27, किता 6 रकवा 0.86,व आराजी खाता संख्या 8 के आराजी खसरा नं0 161 रकवा 0.08, 162 रकवा 0.28, 168 रकवा 0.09, 169 रकवा 0. 07, 170 रकवा 0.18 किता 5 रकवा 0.70 वाके ग्राम चीताहेरी तहसील नदबई में स्थित है।

3. यह है कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सजरा प्रार्थना पत्र संलग्न है।

4. यह है कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन विवादित आराजी वर्णित चरण मद संख्या 02 प्रार्थना पत्र की आराजी में अप्रार्थी संख्या 01 गोविन्द के नाम वाहिद इन्द्राजात खातेदार चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 फिजूल खर्ची का आदमी है। जिसके कारण से वह विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल करने पर आमादा है। जबकि विवादित आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का जन्म से ही हक वाहिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल करने से सक्त हकतलफी है। अतः प्रार्थीगण विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 साथ साथ समूल प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 मुताबिक हक व हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के मुश्तहक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे तथा रहनवयमुन्तकिल न करें।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणसंख्या 1 की ओर से श्री लखन सिंह एडवोकेट तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खिलाफ तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली पेश है। जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 के विवादित आराजी खाता संख्या 429 के खसरा नंबर 654 रकबा 0.08 तथा खाता संख्या 368 के खसरा नंबरान 598 रकबा 0.29, 683 रकबा 0.19, खसरा नंबरान 709 रकबा 0.08, 710 रकबा 0.08 किता 4 कुल रकवा 0.64 हैक्टे. वाके ग्राम रौनीजा तहसील नदबई में स्थित है। व आराजी खाता संख्या 219 के आराजी खसरा नं0 29 रकवा 0.35, 30 रकवा 0.36, 31 रकवा 0.36, 32 रकवा 0.35, 35 रकवा 0.56, 36 रकवा 0.28, 37 रकवा 0.27, 43 रकवा 0.40, 44 रकवा 0.23, 45 रकवा 0.23, 46 रकवा 0.48, 47 रकवा 0.53 किता 12 कुल रकवा 4.40 हैक्टे. व आराजी खाता संख्या 348 के आराजी खसरा नम्बर 1 रकवा 0.14, 2 रकवा 0.30, 3 रकवा 0.13, 4 रकवा 0.30, 5 रकवा 0.26, 6 रकवा 0.26, किता 6 रकवा 1.39 हैक्टे. व आराजी खाता संख्या 93 के आराजी खसरा नम्बर 24 रकवा 0.38, 25 रकवा 0.37 किता 2 रकवा 0.75 वाके ग्राम उंच तहसील नदबई व आराजी खाता संख्या 14 के आराजी खसरा नं0 27 रकवा 0.07, 28 रकवा 0.18, 29 रकवा 0.22, 30 रकवा 0.05, 31 रकवा 0.07, 32 रकवा 0.27, किता 6 रकवा 0.86,व आराजी खाता संख्या 8 के आराजी खसरा नं0 161 रकवा 0.08, 162 रकवा 0.28, 168 रकवा 0.09, 169 रकवा 0.07, 170 रकवा 0.18 किता 5 रकवा 0.70 वाके ग्राम चीताहेरी तहसील नदबई में स्थित है।खाता संख्या 8 ग्राम चीताहेरी काशी के 1/8 हिस्सा व खाता संख्या 14 के 1/12 हिस्सा वाके ग्राम चीताहेरी काशी का अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार व काबिज है। तथाा ग्राम रोनीजा के खाता संख्या 368 के 1/5 हिस्सा का व खाता संख्या 429 ग्राम रोनीजा के 1/12 हिस्सा का 'अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार व काबिज है। तथा खाता संख्या 93 के ग्राम उंच के 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 348 ग्राम उंच के 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 219के ग्राम उंच के 1/10 हिस्से का अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार व काबिज है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 जिस तरिके से वर्णित की है गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज आराजी प्रार्थीयागण की पैत्रिक सम्पत्ति की आराजी नहीं है। प्रार्थीया गण का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजी का अप्रार्थी संख्या 01 खातेदार व काबिज काश्तकार है। प्रार्थीयागण की पुस्तैनी आराजी नहीं होने से सजरा का कोई महत्व नहीं है। सत्यवीर की बडी पुत्री का नाम छवि न होकर अवधेश कुमारी है। प्रार्थीयागण का पिता सत्यवीर जीवित है। इसलिए प्रार्थीयागण, अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध दावा व प्रार्थनापत्र 212 आरटीए लाने का अधिकारी नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है। विवादित आराजी प्रार्थीयागण की पुश्तैनी आराजी नहीं है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी के सही इन्द्राजात चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 फिजूल खर्ची व्यक्ति नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत प्रार्थीयागण को अपने पिता के जीते जी विवादित आराजी पर कोई अधिकार पैदा नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या 01 विवादित आराजी को विक्रय नहीं कर रहा है। ग्राम चीताहेरी काशी की विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 18.07.1992 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद किया है तथा ग्राम उंच व रौनीजा की आराजी के अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने दो बहिनों व माता से जरिये रिलीज डीड से प्राप्त किया है। जिस बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र सत्यवीर व पुत्री कुसुम को ही दावा व प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार हासिल है। प्रार्थीयागण विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने व अप्रार्थी संख्या 01 के इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीयागण की माता संगीता की नीयत विवादित आराजी को प्रार्थीयागण के नाम कराये विक्रय कर देने व अपनी पीहर वालों को रकम दे देने की है। इस कारण उसने नाबालिग दो पुत्रियों की तरफ से दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है।

4. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 2.12.2024 या अन्य किसी भी दिनांक को गग्रम रौनीजा व अन्यत्र प्रार्थीयागण को किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी है। विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर प्रार्थियागण को कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजी बैंक में रहन है तथा विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 01 विक्रय भी नहीं कर पा रहा है। विवादित आराजी में प्रार्थीयागण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। ऐसी स्थिति उनको कोई क्षति पैदा नहीं होती है। प्रार्थीयागण, अप्रार्थी संख्या 01 को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी नहीं है।

5. यह है कि प्रार्थीयागण का कोई भी प्राइमाफेसी केस नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में साबित नहीं होता है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 01 के विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार होने से व प्रार्थीयागण का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा न बनने से अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में प्राइमाफेसी केस है। व सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में सबित है। अगर अप्रार्थी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो उसे अपरिमित क्षति होगी।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण गलत व निराधार होने से व विवादित आराजी में उनको कोई हक व हिस्सा उनके पिता सत्यवीर के जीते जी न बनने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2073—76 वाके ग्राम रौनीजा,

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरत...

नकल जमाबंदी संवत 2073–76 चीताहेरी, नकल जमाबंदी संवत 2073–76 उंच, नकल नामान्तरण रजिस्टर खाता संख्या 49 व 396 वाके ग्राम रौनीजा, नकल जमाबंदी संवत 2065–2068 वाके ग्राम रौनीजा, मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, नकल जमाबंदी संवत 2042–2045 वाके ग्राम उंच पेश किये गये एवं अप्रार्थी वकील की ओर से नकल जमाबंदी संवत 2076–79 वाके ग्राम चीताहेरी काशी, नकल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके ग्राम रौनीजा, नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम उंच, फोटोप्रति असल वयनामा दिनांक 18.07.1992, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम चीताहेरी काशी, फोटोप्रति असल रिलीज डीड दिनांक 6.7. 2001, फोटोप्रति आधार कार्ड अवधेश कुमारी, फोटोप्रति वादपत्र अभिना बनाम गोविन्द बगैरा एवं अपने प्रार्थना के समर्थन में आरआरटी 2017(2) पेज नं0 1362 पेश किये गये।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया

1. **पृथमदृष्टया केस** :– प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का पेश किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी खाता संख्या 429 के खसरा नंबर 654 रकबा 0.08 तथा खाता संख्या 368 के खसरा नंबरान 598 रकबा 0.29, 683 रकबा 0.19, खसरा नंबरान 709 रकबा 0.08, 710 रकबा 0.08 किता 4 कुल रकवा 0.64 हैक्टे. वाके ग्राम रौनीजा तहसील नदबई में स्थित है। व आराजी खाता संख्या 219 के आराजी खसरा नं0 29 रकवा 0.35, 30 रकवा 0.36, 31 रकवा 0.36, 32 रकवा 0.35, 35 रकवा 0.56, 36 रकवा 0.28, 37 रकवा 0.27, 43 रकवा 0.40, 44 रकवा 0.23, 45 रकवा 0.23, 46 रकवा 0.48, 47 रकवा 0.53 किता 12 कुल रकवा 4.40 हैक्टे. व आराजी खाता संख्या 348 के आराजी खसरा नम्बर 1 रकवा 0.14, 2 रकवा 0.30, 3 रकवा 0.13, 4 रकवा 0.30, 5 रकवा 0.26, 6 रकवा 0.26, किता 6 रकवा 1.39 हैक्टे. व आराजी खाता संख्या 93 के आराजी खसरा नम्बर 24 रकवा 0.38, 25 रकवा 0.37 किता 2 रकवा 0.75 वाके ग्राम उंच तहसील नदबई व आराजी खाता संख्या 14 के आराजी खसरा नं0 27 रकवा 0. 07, 28 रकवा 0.18, 29 रकवा 0.22, 30 रकवा 0.05, 31 रकवा 0.07, 32 रकवा 0.27, किता 6 रकवा 0.86,व आराजी खाता संख्या 8 के आराजी खसरा नं0 161 रकवा 0.08, 162 रकवा 0.28, 168 रकवा 0.09, 169 रकवा 0.07, 170 रकवा 0.18 किता 5 रकवा 0.70 वाके ग्राम चीताहेरी तहसील नदबई में स्थित है। प्रार्थी/वादी द्वारा वादपत्र अपने खातेदारी घोषणा हक व हकूकों का पुश्तैनी आराजीयात को लेकर पेश किया गया है। विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या 01 गोविन्द के नाम वाहिद इन्द्राजात खातेदार चले आ रहे है। विवादित आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के

अखण्ड अधिकारी
नदबई (भरत...

तहत प्रार्थीगण का जन्म से ही हक वाहिस्सा निहित है। चूंकि वाद खातेदारी घोषणाओं को लेकर है, प्रार्थी के ख़ातेदारी के हकों का हक वाद में तनकीयात कायम की जाकर तथा उभयपक्षकारान के दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर मेरिट पर निर्णय किया जावेगा तब तक वाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखने हेतु वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित है। अतः प्रथमदृष्टया केस प्रार्थी के हक में बखूबी साबित होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन** :– सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में वखूबी साबित है।
3. **अपूर्णीय क्षति** :– चूंकि प्रकरण खातेदारी घोषणाओं को लेकर है तथा वाद में पूर्व में भी बेचान हो चुका है अगर स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जाता है तो वाद की प्रकृति में परिवर्तन होगा तथा मौके की यथास्थिति में परिवर्तन होगा तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। क्यांकि पृथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायायल द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 09.12.2024 ताफैसला मुकदमा दावे के निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05-02-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते